

आदेश

कार्यवाही विवरण

20/11/22

पञ्जावली पैदा हुई। कब्रदार एवं वकील मौजूद
 के वार-वार आवाज लगावाई गई, यद्युक्त
 इन्हीं मोर से कोर भी आरिजत न्यायालय
 नहीं होने से शरणा अदम दफ्तरी एवं अदम
 पैरवी के खारिज किया जाता है पञ्जावली के
 सुमा दोहर की नम्बर से कम है तथा बाद
 लक्ष्मील जाफा दायित दफ्तर है। निष्पत्ति सुत
 न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
 न्यायालय

(...)
 न्यायालय

न्यायालय, हाउस नं. 1, ई. एम. रोड, दिल्ली
 न्यायालय, हाउस नं. 1, ई. एम. रोड, दिल्ली
 न्यायालय, हाउस नं. 1, ई. एम. रोड, दिल्ली
 न्यायालय, हाउस नं. 1, ई. एम. रोड, दिल्ली



न्यायालय, हाउस नं. 1, ई. एम. रोड, दिल्ली
 न्यायालय, हाउस नं. 1, ई. एम. रोड, दिल्ली
 न्यायालय, हाउस नं. 1, ई. एम. रोड, दिल्ली
 न्यायालय, हाउस नं. 1, ई. एम. रोड, दिल्ली